303

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

R-3144-II/12

1– अविनाश पुत्र स्व. श्री प्राणसुख शुक्ला

2– मुस. राजाबाई पत्नी स्व. श्री प्राणसुख शुक्ला

निवासीगण– नजरवाग छतरपुर तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 17/9/12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4.45 PM

विरूद्ध

1– गौरीशंकर कुशवाह पुत्र घासीराम कुशवाह

2– रामकिशोर कुशवाह पुत्र घासीराम कुशवाह

निवासीगण– वकापन मार्ग तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)

3– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदकगण ने भूमि खसरा नं. 325 स्थित ग्राम बकायन का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 25.08.2009 को जनसुनवाई कार्यालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर के समक्ष पेश किया था कि ए.एस.एल. आर. से सीमांकन कराया जावे, क्योंकि पड़ौसी कब्जा करना चाहते हैं।

2– यहकि, अनावेदक ने पुनः दिनांक 02.11.2011 को कलेक्टर को आवेदन दिया कि उसकी भूमि पड़ोसी कास्तकार दवाये हुए हैं। अतः सीमांकन कराया जावे।

3– यहकि, आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 325/1, 324, 330 तथा अन्य भूमियां लगी हुई हैं। उभयपक्षों के मध्य पूर्व सीमा सम्बन्धी विवाद के निराकरण हेतु यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक साथ सीमांकन करायेंगे इसलिये आवेदकगण ने भी दिनांक 20.03.2012 को अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सीमांकन हेतु विधिवत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन दिनांक 06.05.2012 को केवल अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन किया गया। आवेदकगण की भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3144–दो / 2012 जिला–छतरपुर

अविनाश व अन्य विरूद्ध गौरीशंकर कुशवाह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों हस्ताक्षर
18–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 17 / अ–12 / 2011–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19	